Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 65-2026/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 1, 2026 (VAISAKHA 11, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 मई, 2026

संख्या Misc-G-1 Vol. II /2026/7/13/2026-2TCP.– पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 हरियाणा राज्यार्थ को, आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, इसके द्वारा, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों के साथ, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से लिखित में नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 (जिन्हें इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, –

(i) खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

''(गक) किसी नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि या भवन के संबंध में ''अनुरूप उपयोग'' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि या भवन का उपयोग, जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए विनिर्दिष्ट प्रमुख भूमि उपयोग के अनुसार हो;

(गख) "अनुरूप अँचल" से अभिप्राय है, विकास योजना में प्रमुख भूमि उपयोग अँचल जिसमें विनिर्दिष्ट उपयोगों के अनुरूप गतिविधियाँ अनुज्ञेय हैं;'';

(ii) खण्ड (ज) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(जक) ''स्व–प्रमाणन'' से अभिप्राय है, ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा आवेदक, उस द्वारा प्रमाणित ऐसी सूचना, दस्तावेज तथा वचनबद्धता, प्रस्तुत करता है, जो अपेक्षित हो;''।

3. उक्त नियमों में, नियम 26क में, –

(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु स्व–प्रमाणीकरण के माध्यम से जनित अनुमति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को नियम 26 क के अधीन किया गया आवेदन माना जाएगा तथा नियम 26ख, 26ग तथा 26घ के उपबंध ऐसे आवेदन पर लागू नहीं होंगे।''।

4. उक्त नियमों में, नियम 26ङ में,–

(i) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(1) यदि आवेदक ने निदेशक की संतुष्टि के अनुसार नियम 26घ में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा कर दिया है, तो निदेशक अनुमति प्रदान करेगा। ऑनलाइन ढंग से स्व–प्रमाणन द्वारा जनित अनुमति, निदेशक द्वारा प्रदान की गई मानी जाएगी।'';

(ii) उप–नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्–

''(3) मिथ्या कथन, दुर्व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छुपाने के आधार पर, स्व–प्रमाणन के माध्यम से जनित कोई भी अनुमति, प्रारम्भ से ही शून्य होगी और इसे प्रदान करने की तिथि से अप्रभावी मानी जाएगी।''।

अनुराग अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 1st May, 2026

No. Misc-G-1 Vol. II /2026/7/13/2026-2TCP.— The following draft of rules further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in its application to the State of Haryana, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 25 of the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), is hereby published as required under sub-section (1) of the said section, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Additional Chief Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department Haryana from any person with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Rules, 2026.

2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, (hereinafter called the said rules), in rule 2,—

(i) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(ca) "conforming use" in respect of any land or building in a controlled area, means the use of such land or building which is in accordance with the major land use specified for that part of the area in the development plan;

(cb) "conforming zone" means major land use zone in the Development Plan wherein activities consistent with specified uses are permissible;";

(ii) after clause (h) the following clause shall be inserted, namely:-

"(ha) "self-certification" means the process whereby an applicant furnishes such information, documents and undertakings as may be required, duly certified by the applicant;";

3. In the said rules, in rule 26A,-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be added, namely,-

"Provided that the information submitted by applicant for permission generated through self-certification shall be deemed to be an application made under rule 26A and the provisions of rules 26B, 26C and 26D shall not apply to such application.".

4. In the said rules, in rule 26E,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) if the applicant has fulfilled all the conditions laid down in rule 26D to the satisfaction of the Director, the Director shall grant the permission. The permission generated by self-certification through online mode shall be deemed to be granted by the Director.";

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:-

"(3) Any permission generated through self-certification, on the basis of false statement, misrepresentation or concealment of any material fact, shall be void ab initio and be deemed to have no effect from the date of its grant.".

ANURAG AGARWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

12599—C.S.—H.G.P., Pkl.